अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, साहेबगंज।

राजस्व विविध वाद सं0–01/2022–23

वादी – भरत पंडित,

–बनाम

प्रतिवादी – 1) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज।

आदेश फलक

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
1	2	3
13.09.2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद, वादी के द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से N.H-80 (राष्ट्रीय पथ निर्माण) के तहत् मौजा–कल्याणी, मीनाबाजार उर्फ महराजपुर सीट नं0–02, दाग नं0–234, रकवा–00–03–00 धूर भूमि जिला भू–अर्जन कार्यालय, साहेबगंज द्वारा अधिग्रहित किये जाने हेतु वाद दायर किया गया है, उक्त वाद की सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त वाद में मो0–11428.00 (ग्यारह हजार चार सौ अट्ठाईस) रूपये मात्र मुआवजा राशि दर्शाया गया है। उक्त भूमि के एक ही भूखंड पर अवस्थित वादी के भाई दशरथ पंडित को जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहण की राशि 294374.00 (दो लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौहत्तर) रूपये मात्र का भुगतान किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा मुझे बिना मुआवजा राशि भुगतान के ही उक्त भूमि पर अवस्थित जमीन एवं मकान को अधिग्रहित कर लिया गया है। वादी के द्वारा अंचल अधिकारी, तालझारी से पुनः मुल्यांकन कर जमीन एवं मकान का मुआवजा राशि भुगतान का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/ NHAI एवं अंचल अधिकारी, तालझारी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश किया गया। परियोजना निदेशक पी0आई0यू0, साहेबगंज का पत्र सं0–21, दिनांक–04.04.2025 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। वाद की सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं NHAI की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना निदेशक पी0आई0यू0, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग–80 के मिर्जाचौकी–फरक्का सेक्शन अन्तर्गत कि0मी0 215.00 से 257.718 तक 4 लेन सड़क निर्माण चौड़ीकरण में मौजा–कल्याणी उर्फ महराजपुर में क्रमांक 1 पर अंकित रैयत भरत पंडित, पिता–हरि पंडित के द्वारा पूर्व में नापी की गई संरचना के अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, पूर्व में निर्धारित मुआवजा सही है। विधिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।	

अपिलार्थी एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज/NHAI के प्रतिनिधि को सुना/अपिलार्थी की ओर से साक्ष्य के रूप में अपना एवं अपने भाई का सम्मिलित घर (मकान) का फोटोग्राफ समर्पित किया एवं भाई को प्राप्त मुआवजा राशि की मांग की गई। NHAI एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के प्रतिनिधि के द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि की गणना सही की गई है की बात कही गई।

अपिलार्थी एवं NHAI के प्रतिनिधि एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के प्रतिनिधि को सुनने के उपरान्त विचारोपरांत अपिलार्थी को निर्धारित मुआवजा राशि मो0-11428.00 (ग्यारह हजार चार सौ अट्ठाईस) रूपये मात्र के अतिरिक्त 100000.00 (एक लाख) रूपये कुल 111428.00 (एक लाख ग्यारह हजार चार सौ अट्ठाईस) रूपये मात्र का भुगतान नियमानुसार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगज एवं NHAI को करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Digitally signed by Gautam Kumar Bhagat
Date: 2025.11.10 13:13:51 +05:30
Location: 192.168.0.141